भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2159
दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएमवी योजना के तहत लाभार्थी

2159. श्रीमती डिम्पल यादव:
श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत राज्य-वार और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में जिला-वार कितने लाभार्थी नामांकित हैं/लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) पंजीकरण के पश्चात लाभों के संवितरण में लगे समय का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने मामले हैं जहां भुगतान तीन माह से अधिक समय तक लंबित रहा है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत, जारी/वितरित धनराशि का उक्त राज्यों में राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राज्यों में लाभार्थी पंजीकरण, आधार सीडिंग, बैंक खाता लिंकेज/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान में कोई अंतराल पाया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) उक्त राज्य में पीएमएमवीवाई 2.0 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा दूसरे बच्चे के लिए दिए गए लाभों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त जिलों में पीएमएमवीवाई कवरेज का विस्तार करने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है, ताकि समय पर डीबीटी भुगतान सुनिश्चित किया जा सके तथा दस्तावेज़ीकरण/सत्यापन मुद्दों के कारण होने वाले विलंब को कम किया जा सके?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): पीएमएमवीवाई के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर दिनांक 08.12.2025 तक नामांकित/लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्रक-I** में दी गई है।

दिनांक 01.04.2023 से, पीएमएमवीवाई योजना का कार्यान्वयन पुराने सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) से नए सिस्टम (पीएमएमवीवाईसॉफ्टएमआईएस) पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिलावार आंकड़े दिनांक 01.04.2023 से ही उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 01.04.2023 से 08.12.2025 तक नामांकित/लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जिलावार संख्या और दूसरे बच्चे के लिए दिए गए लाभों का ब्यौरा **अनुलग्रक-II** में दिया गया है। तेलंगाना राज्य सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रही है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई के अंतर्गत जारी निधि का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा निधि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की जाती है और ज़िलों को सीधे जारी नहीं की जाती।

सामान्यतः, पीएमएमवीवाई पोर्टल पर सफल पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खाते में लाभ सीधे जमा कर दिया जाता है। लाभ संवितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने तथा समय पर डीबीटी भुगतान सुनिश्चित करने और दस्तावेज़ तैयार करने/सत्यापन संबंधी समस्याओं के कारण होने वाली देरी को कम करने के लिए पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन में कई सुधार किए गए हैं। इन किए गए सुधारों में से कुछ सुधार इस प्रकार हैं:-

- पीएमएमवीवाई पोर्टल पूरी तरह से कागज-रहित है।
- फॉर्म को सरल एवं संक्षिप्त बनाया गया है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री स्तर से ही मोबाइल ऐप आधारित है और लाभार्थियों के घर तक सेवाएँ प्रदान करता है।
- आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली [एबीपीएस] के माध्यम से भुगतान होता है।

- पीएमएमवीवाई पोर्टल आवेदकों की पहचान की पुष्टि के लिए आधार कार्ड -आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (चेहरे की पहचान के माध्यम से) के लिए सक्षम है।
- तेजी से कार्रवाई के लिए पंजीकरण के समय ही आधार सत्यापन, बैंक खाते की डीबीटी सक्षमता आदि जैसे सभी अनिवार्य प्रावधानों की जाँच की जाती है।
- सभी नामांकित लाभार्थियों के लिए स्थिति खोजें एवं ट्रैक करें की सुविधा है ताकि वे अपने आवेदनों की स्वीकृति और भुगतान की स्थिति देख सकें।
- पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करने हेतु सभी नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने और स्थिति जानने का मॉड्यूल दिया गया है। यह मॉड्यूल सीधे कार्यान्वयन प्राधिकारियों को शिकायत भेजता है जिससे समय की बचत होती है एवं त्वरित समाधान होता है।
- पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए पीएमएमवीवाई टोल-फ्री और बहुभाषी हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन का पंजीकरण, पंजीकरण की अस्वीकृति, भुगतान इत्यादि जैसे विभिन्न चरणों में 12 भाषाओं में से किसी एक में एसएमएस प्राप्त होता है।
- पीएमएमवीवाई पोर्टल आंगनवाड़ी केंद्र स्तर तक एलजीडी कंप्लेंट है। एलजीडी सीडिंग राज्य/ज़िला/ब्लॉक/ ग्राम/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक शुरू की गई है।
- ओपन एपीआई अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रालय/विभाग के साथ आंकड़े साझा करने की स्वतंत्रता देता है।
- विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम/वार्ड/परियोजना/सेक्टर /आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस आंकड़े तैयार किए जा सकते हैं।
- आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा पीएमएमवीवाई का उपयोग आंकड़े केंद्रित संचालन और रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।
- पोषण ट्रैकर से पीडब्ल्यू एवं एलएम के उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की "देय सूची (ड्यू लिस्ट)" बनाने के लिए किया जाता है।

-x-x-x-x-

अनुलग्नक-I

'पीएमएमवी योजना के तहत लाभार्थी' के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2159 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.01.2017 से 08.12.2025 तक पीएमएमवीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नामांकित लाभार्थियों, भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि को दर्शाने वाला विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित लाभार्थी	भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी	संवितरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12,168	10,305	4.92
2	आंध्र प्रदेश	21,37,239	19,53,978	908.06
3	अरुणाचल प्रदेश	42,362	36,102	16.96
4	असम	17,16,828	15,49,425	734.85
5	बिहार	49,88,648	42,21,899	1,915.13
6	चंडीगढ़	43,262	41,186	18.51
7	छत्तीसगढ़	13,06,017	12,33,584	581.87
8	दिल्ली	6,41,323	5,80,758	273.42
9	गोवा	39,332	35,328	17.27
10	गुजरात	19,06,606	17,42,610	811.52
11	हरियाणा	10,67,005	10,18,532	496.09
12	हिमाचल प्रदेश	3,76,846	3,52,792	171.15
13	जम्मू और कश्मीर	5,49,250	5,01,144	243.32
14	झारखंड	12,14,183	11,35,036	530.84
15	कर्नाटक	31,82,337	30,44,561	1,486.70
16	केरल	13,12,254	12,34,864	588.75
17	लद्दाख	9,579	8,874	4.32
18	लक्षद्वीप	3,475	3,061	1.32
19	मध्य प्रदेश	50,24,409	48,10,973	2,311.55
20	महाराष्ट्र	44,41,492	41,83,228	1,986.75
21	मणिपुर	1,03,559	91,559	45.64
22	मेघालय	83,346	75,385	35.27
23	मिजोरम	52,913	46,958	23.35
24	नागालैंड	55,899	49,272	24.80

25	ओडिशा	96,358	66,858	20.06
26	पुदुच्चेरी	48,489	45,656	22.24
27	पंजाब	8,74,178	8,08,495	395.94
28	राजस्थान	31,10,362	29,23,645	1,380.54
29	सिक्किम	29,454	20,010	9.44
30	तमिलनाडु	22,28,004	19,54,857	1,034.23
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	30,163	28,551	13.50
32	त्रिपुरा	1,58,352	1,46,131	69.98
33	उत्तर प्रदेश	70,41,508	64,32,129	2,859.18
34	उत्तराखंड	4,85,369	4,46,258	210.41
35	पश्चिम बंगाल	24,48,533	16,38,005	739.11
	कुल	**4,68,61,102**	**4,24,72,009**	**19,987.01**

'पीएमएमवी योजना के तहत लाभार्थी' के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2159 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 01.04.2023 से 08.12.2025 तक जिलावार नामांकित/लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या और दूसरे बच्चे के लिए दिए गए लाभों को दर्शाने वाला विवरण:

क्र. सं.	जिला	नामांकित लाभार्थी	भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी	संवितरित राशि (करोड़ में)	दूसरी बालिका के लिए भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी	दूसरी बालिका के लिए संवितरित राशि (रुपये करोड़ में)
1	आगरा	17,921	10,729	4.80	2,286	1.37
2	अलीगढ़	16,110	8,538	3.79	2,027	1.22
3	अम्बेडकर नगर	14,297	12,385	5.07	2,164	1.30
4	अमेठी	16,129	13,038	5.26	2,312	1.39
5	अमरोहा	6,889	5,335	2.43	1,536	0.92
6	औरैया	8,573	6,641	3.17	1,755	1.05
7	अयोध्या	14,593	9,888	4.33	1,888	1.13
8	आजमगढ़	16,573	12,426	5.71	3,424	2.05
9	बागपत	7,943	4,213	1.87	1,116	0.67
10	बहराइच	40,180	31,367	15.60	12,042	7.23
11	बलिया	12,211	8,627	3.65	1,573	0.94
12	बलरामपुर	13,843	6,479	2.73	1,283	0.77
13	बाँदा	5,966	4,447	2.10	1,159	0.70
14	बाराबंकी	13,106	8,611	3.55	971	0.58
15	बरेली	35,168	28,239	13.73	10,623	6.37
16	बस्ती	20,859	14,927	6.85	4,387	2.63
17	भदोही	8,465	5,335	2.24	1,240	0.74
18	बिजनौर	27,455	20,433	10.54	9,862	5.92
19	शाहजहांपुर	12,409	8,430	3.72	1,740	1.04
20	बुलन्दशहर	17,719	15,599	7.87	5,736	3.44

21	चंदौली	6,755	4,187	1.87	1,120	0.67
22	चित्रकूट	9,000	7,290	3.36	2,023	1.21
23	देवरिया	12,638	10,494	4.91	2,116	1.27
24	एटा	6,585	4,066	1.72	952	0.57
25	इटावा	7,609	6,973	3.15	1,448	0.87
26	फर्रुखाबाद	13,515	12,125	5.74	3,294	1.98
27	फ़तेहपुर	7,391	5,525	2.40	984	0.59
28	फिरोजाबाद	8,041	4,801	2.14	1,215	0.73
29	गौतम बुद्ध नगर	3,777	2,342	1.05	437	0.26
30	गाजियाबाद	24,737	16,204	8.18	7,084	4.25
31	गाजीपुर	13,949	11,360	4.90	2,147	1.29
32	गोंडा	10,793	8,344	3.92	1,819	1.09
33	गोरखपुर	16,265	12,875	5.93	3,217	1.93
34	हमीरपुर	5,181	3,911	1.79	1,393	0.84
35	हापुड़	5,545	2,565	1.15	629	0.38
36	हरदोई	17,224	13,458	5.96	2,579	1.55
37	हाथरस	15,188	8,134	3.99	3,745	2.25
38	जालौन	12,526	8,326	3.93	2,846	1.71
39	जौनपुर	19,114	14,962	6.59	3,031	1.82
40	झांसी	7,848	5,404	2.38	1,471	0.88
41	कन्नौज	6,403	6,070	3.08	2,661	1.60
42	कानपुर देहात	7,007	3,762	1.79	1,414	0.85
43	कानपुर नगर	16,713	9,952	4.83	3,543	2.13
44	कासगंज	7,037	5,483	2.34	1,318	0.79
45	कौशांबी	15,611	10,687	5.01	4,634	2.78
46	खेरी	29,475	26,552	12.59	6,839	4.10
47	कुशी नगर	17,532	12,458	5.45	2,822	1.69
48	ललितपुर	6,065	3,921	1.83	882	0.53
49	लखनऊ	16,900	13,234	6.23	4,489	2.69
50	महाराजगंज	26,676	24,632	11.26	6,787	4.07
51	महोबा	7,489	5,346	2.35	1,367	0.82
52	मैनपुरी	6,198	2,970	1.31	624	0.37
53	मथुरा	11,189	8,860	4.25	2,580	1.55
54	मऊ	7,153	5,538	2.52	1,659	1.00
55	मेरठ	15,602	12,936	6.14	3,524	2.11
56	मिर्जापुर	14,038	9,584	4.39	2,601	1.56
57	मुरादाबाद	13,452	8,345	3.88	2,232	1.34
58	मुज़फ्फरनगर	12,750	8,136	3.83	2,598	1.56

59	पीलीभीत	8,427	6,183	2.63	1,192	0.72
60	प्रतापगढ़	16,354	10,838	4.82	2,872	1.72
61	प्रयागराज	26,388	17,246	7.54	4,795	2.88
62	रायबरेली	12,797	13,126	5.99	2,555	1.53
63	रामपुर	30,265	23,465	12.37	10,009	6.01
64	सहारनपुर	19,935	20,803	10.73	8,464	5.08
65	संभल	8,489	7,265	3.30	1,741	1.04
66	संतकबीर नगर	7,205	5,808	2.52	1,002	0.60
67	शाहजहांपुर	24,667	22,061	10.23	6,347	3.81
68	शामली	15,922	11,356	5.92	6,797	4.08
69	श्रावस्ती	5,377	2,996	1.38	701	0.42
70	सिद्धार्थनगर	12,321	6,619	2.84	1,535	0.92
71	सीतापुर	27,214	20,595	9.91	8,434	5.06
72	सोनभद्र	10,856	6,219	3.10	3,129	1.88
73	सुल्तानपुर	13,702	11,565	4.74	1,904	1.14
74	उन्नाव	33,385	29,634	14.86	14,333	8.60
75	वाराणसी	42,500	33,296	15.17	8,800	5.28
	कुल	**11,03,184**	**8,26,574**	**385.19**	**2,49,858**	**149.91**

अनुलग्नक-III

'पीएमएमवी योजना के तहत लाभार्थी' <u>के संबंध में दिनांक 12.12.2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2159 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

पिछले 5 वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार जारी की गई निधि का विवरण:

(करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.98	1.19	0.18	शून्य	0.33
2.	आंध्र प्रदेश	14.39	20.22	71.89	57.99	44.96
3.	अरुणाचल प्रदेश	8.72	1.13	1.43	शून्य	1.98
4.	असम	94.69	35.47	79.18	155.05	77.07
5.	बिहार	319.98	211.74	171.74	शून्य	141.53
6.	चंडीगढ़	4.4	1.89	0.62	4.08	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	9.66	38.66	72.75	शून्य	68.72
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.34	1.71	1.84	0.91	2.44
9.	गोवा	0.12	1.09	1.61	शून्य	1.86
10.	गुजरात	शून्य	46.32	10.75	75.64	72.48
11.	हरियाणा	7.36	40.02	63.66	शून्य	33.3
12.	हिमाचल प्रदेश	7.73	21.17	14.19	10.56	26.85
13.	जम्मू एवं कश्मीर	7.5	39.34	20.60	33.60	41.9
14.	झारखंड	16.27	58.39	29.27	शून्य	39.31
15.	कर्नाटक	37.92	142.77	148.87	113.96	159.96
16.	केरल	15.29	53.37	53.96	61.06	शून्य
17.	लद्दाख*	0.76	0.38	0.31	0.69	0.62
18.	लक्षद्वीप	0.06	0.11	0.14	0.23	0.27
19.	मध्य प्रदेश	62.78	130.29	204.02	105.51	257
20.	महाराष्ट्र	113.11	99.50	240.83	शून्य	141.17
21.	मणिपुर	6.48	1.15	3.45	7.93	शून्य
22.	मेघालय	5.08	5.08	6.26	शून्य	3.45
23.	मिजोरम	5.46	2.90	1.99	1.40	2.55
24.	नागालैंड	1.39	4.98	2.03	2.42	4.18

25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5.46	28.31	31.46	27.15	20.08
26.	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	43.48
27.	पुदुच्चेरी	0.85	2.39	1.96	शून्य	1.76
28.	पंजाब	12.79	16.47	18.82	32.05	32.03
29.	राजस्थान	100.02	108.20	81.84	123.23	98.17
30.	सिक्किम	0.57	0.42	0.70	1.28	शून्य
31.	तमिलनाडु	93.39	35.02	68.03	शून्य	95.62
32.	त्रिपुरा	7.55	4.53	3.27	11.31	5.42
33.	उत्तर प्रदेश	99.28	290.85	500.68	शून्य	शून्य
34.	उत्तराखंड	18.97	20.71	16.69	30.35	26.41
35.	पश्चिम बंगाल	शून्य	162.58	63.22	शून्य	शून्य
	कुल	**1079.37**	**1628.35**	**1988.24**	**856.42**	**1444.94**

-x-x-x-x-x